राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1989–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–2–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 205/निगरानी/2006–07.

1– ज्योति खत्री पत्नी पुरूषोत्तम खत्री
निवासी भोपाल
द्वारा मुख्तयारआम के.के. तिवारी पुत्र के.पी. तिवारी
निवासी बी–91, नेहरू नगर, भोपाल
2– श्रीमती मंजुला तिवारी पत्नी के.के. तिवारी
निवासी बी–91, नेहरू नगर, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

नवीन कुमार अरोरा आत्मज किशनलाल अरोरा
निवासी ई–4/41, अरेरा कॉलौनी, भोपाल .....अनावेदक

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 10 जुलाई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका क्रमांक 1 ज्योति खत्री द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर के समक्ष उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम भैरोंपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 557/499 रकबा 0.81 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 91/ए–12/2004–05 दर्ज किया जाकर दिनांक 6–7–2004 को सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को सीमांकन के निर्देश दिये गये । सीमांकन दल द्वारा दिनांक 9–6–2005 को मौके पर सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा सीमांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–7–2006 को अनावेदक की आपत्ति निरस्त करते हुए सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा निगरानी कलेक्टर, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 5–5–2007 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 24–7–2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदक की आपत्ति अनुसार स्थल पर स्थाई सीमा चिन्हों के आधार पर मेड़ पड़ोसी कास्तकारों की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन की कार्यवाही 15 दिवस में सम्पन्न कराई जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–2–2012 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारा उठाए गए :–

(1) आवेदिका क्रमांक 1 की भूमि ग्राम भैरोपुर, तहसील हुजूर जिला भोपाल में खसरा क्रमांक 499/557 क्षेत्रफल 0.81 हेक्टेयर के रूप में विद्यमान है । यह भूमि आवेदिका क्रमांक 1 द्वारा आवेदिका क्रमांक 2 को विक्रय की जा चुकी है एवं ऐसे विक्रय की सूचना अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, भोपाल की दी जा चुकी है, किन्तु आवेदिका क्रमांक 2 का नामांतरण स्वीकृत न होने के कारण अभिलेखों में आज भी आवेदिका क्रमांक 1 का नाम बहैसियत भूमिस्वामी इंद्राज है ।

(2) आवेदिका कमांक 1 द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर अधीक्षक, भू–अभिलेख के माध्यम से सीमांकन कराने का निवेदन किया गया था, जिसके आधार पर दिनांक 28–6–2006 को सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा पड़ोसी कृषकों को सूचित करते हुए स्थाई सीमा चिन्हों के आधार पर सीमांकन किया गया । ऐसे सीमांकन को अनावेदक द्वारा निगरानी में चुनौती दी गई थी, किन्तु प्रथम निगरानी न्यायालय के लिपिक द्वारा की गई त्रुटि के कारण प्रकरण भूलवश निगरानी के रूप में दर्ज हो गया, जबकि प्रथम निगरानी अनावेदक द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी ।

(3) अनावेदक द्वारा निगरानी में मूल रूप से यह मुद्दा उठाया था कि उसे पड़ोसी कृषक होने के बाद भी सुनवाई का अवसर नहीं मिला है, और न ही सीमांकन स्थाई सीमा चिन्हों के आधार पर किया गया है, जबकि अनावेदक एवं उसके अन्य साथियों द्वारा भी आवेदक की भूमि से लगकर विद्यमान भूमियों के संबंध में सीमांकन कराये गये हैं, जिनके संबंध में प्रकरण कमांक 51 लगायत 58/अ–12/2005–06 दर्ज होकर ऐसा सीमांकन 20–7–2006 को अंतिम हो चुका है, जिसे स्वयं अनावेदक एवं उनके साथियों ने स्वीकार किया है ।

(4) उपरोक्त सीमांकन होने के साथ यह निश्चित है कि अनावेदक पक्ष को आवेदकगण के सीमांकन में आपत्ति करने का अधिकार शेष नहीं रह गया है, क्योंकि आवेदक एवं अनावेदक की भूमियों की सीमाएं एक–दूसरे से मिलकर विद्यमान है, जिसमें आवेदक का सीमांकन 28–6–2006 को हुआ है, जबकि अनावेदक का सीमांकन 20–7–2006 को हुआ है । यदि अनावेदक का सीमांकन उसके द्वारा स्वीकार्य होकर आक्षेपित किए जाने योग्य नहीं है, तब आवेदक के सीमांकन को आक्षेपित नहीं कर सकता है । संहिता की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी विचारण न्यायालय के आदेश को तकनीकी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है । जब अनावेदक का सीमांकन अंतिम रूप ले चुका है एवं अनावेदक को स्वीकार्य है, तब उसे मात्र तकनीकी आधारों पर आवेदक के सीमांकन को आक्षेपित करने का अधिकार नहीं है । कोई भी व्यक्ति किसी भी आदेश को तभी चुनौती दे सकता है, जबकि ऐसे आदेश से उसके प्रति वस्तुतः अन्याय हो रहा हो । चूंकि वर्तमान प्रकरण में अनावेदक ने तकनीकी आधारों पर आवेदकगण के सीमांकन को चुनौती दी है, जबकि इसी भूमि से लगकर अनावेदक पक्ष के सीमांकन को स्वयं अनावेदक ने मान्य किया है । ऐसी अवस्था में यदि किसी भी भूमि की दोनों पक्षों को बीच की सीमायें मान्य हैं, तब दूसरा पक्ष सीमांकन को

चुनौती नहीं दे सकता है । प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अनावेदक पक्ष द्वारा आपत्ति करने के उद्देश्य मात्र से आवेदक के सीमांकन को आक्षेपित किया जाना है ।

(5) किसी भी प्रकरण में न्यायालय का कर्तव्य यह होता है कि वे पक्षकारों के हित का ध्यान रख उन्हें शीघ्र न्याय प्रदान करें । यदि तकनीकी आधारों पर प्रकरण निरंतर चलते रहेंगे, तब मुकदमेबाजी का अंत कभी नहीं होगा एवं पक्षकार न्याय के लिए सदैव भटकते रहेंगे । प्रस्तुत प्रकरण में भी मात्र सीमांकन की अंतिमता को विगत सात–आठ वर्षों से चुनौती दी जा रही है एवं आक्षेपित किया जा रहा है । आवेदकगण के सीमांकन के अंतिम होने से अनावेदक पक्ष के विरूद्ध वस्तुतः या अन्यथा किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो रहा है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारा उठाए गए :–

(1) दिनांक 11–2–14 को इस न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आवेदकगण की बहस श्रवण कर अनावेदक के तर्क श्रवण किए बिना प्रकरण को गुण–दोषों पर श्रवण हेतु नियत कर दिया जो, विधिसम्मत नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की भी अवमानना है ।

(2) आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण व आदेश का प्रारंभ से ही ज्ञान था, इसके बावजूद उसके द्वारा समयावधि में न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश नहीं की गई थी । उसके द्वारा अपने आवेदन में झूठे एवं असत्य मनगढंत आधार वर्णित किये हैं, जो कि विलम्ब क्षमा के पर्याप्त हेतुक नहीं हैं व आवेदकगण विलम्ब क्षमा का पात्र नहीं है, लेकिन न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समय–सीमा पर श्रवण किए बिना एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत कर परिसीमा अधिनियम, 1963 की उद्देश्य के विपरीत कार्यवाही की गई है, जिससे विधि की दृष्टि में अंतिम कार्यवाही दूषित होगी ।

(3) अवधि क्षमा करने के लिए यह सर्वप्रथम अवलोकनीय था कि विलम्ब का प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण देना होगा, जो आवेदक द्वारा नहीं दिया गया । स्पष्टीकरण में यह देखना आज्ञापक है कि पारित आदेश की जानकारी कब, कैसे प्राप्त हुई, इस संबंध में आवेदक द्वारा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि पारित आदेश की जानकारी आवेदक को आदेश पारित दिनांक से ही थी । इसलिए अन्य प्रकरण में उपस्थित होने पर आदेश का ज्ञान हुआ, यह पर्याप्त एवं समाधानकारक कारण नहीं है । आवेदक की निगरानी समय बाधित है, जिस पर एक स्पष्ट आदेश पारित किया जाना आज्ञापक था ।

(4) आवेदक स्वयं कथन कर रहा है कि वह पूर्व में सभी तारीखों में उपसंजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होता रहा था, लेकिन पारित आदेश की जानकारी नहीं थी । पारित आदेश की जानकारी में आवेदक असत्य अभिवचन कर रहा है, ऐसी स्थिति में आदेश की जानकारी का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, और विलम्ब क्षमा योग्य नहीं है, अन्यथा एक पक्ष को अनुचित लाभ होगा और दूसरे पक्ष को अनुचित हानि होगी । उक्त स्थिति में आवेदक विलम्ब क्षमा का पात्र नहीं था । इन वैधानिक बिन्दुओं पर इस न्यायालय को विचार करना आज्ञापक था, लेकिन एकपक्षीय तर्क श्रवण कर प्रकरण गुण–दोषों पर नियत कर दिया गया जो समय–सीमा अधिनियम के प्रावधानों की विपरीत होकर उन्हें विफल बनाता है ।

(5) सर्वप्रथम अवधि विधान के बिन्दु पर एक सुसंगत सकारण समाधानकारक आदेश पारित किया जाना चाहिए, तत्पश्चात प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना विधि अनुसार होगा ।

(6) तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अपना आदेश दिनांक 24–7–2006 प्रभावित पक्षकार के सूचना दिये बगैर पारित किया है, ऐसा आदेश नैसर्गिक नियमों के विपरीत होकर अवैध व शून्यवत था, जिसे कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा निरस्त कर एक विधिक आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

(7) तहसीलदार का आदेश 24–7–2006 नैसर्गिक नियमों को पालन किए बिना पारित किया था, जिसका विधि के पालन में निरस्त किया जाना आज्ञापक था । अपर आयुक्त व कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत है । तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन सीमांकन प्रकरण दिनांक 31–10–2005 को सहमति से यथास्थिति कायम की गई थी, इसके पश्चात यदि तहसीलदार द्वारा प्रकरण पुनः नंबर पर लिया गया था तो प्रकरण में आपत्तिकर्ता व हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना तामीली करवाकर ही आदेश पारित किया जा सकता था, लेकिन तहसीलदार ने प्रभावित पक्षकारों को कोई सूचना न देते हुए मनमर्जी से सीमांकन स्वीकृत कर दिया और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, ऐसा आदेश प्राकृतिक नियमों के विपरीत होकर अवैध व शून्यवत थे, जिसे अपर आयुक्त व कलेक्टर ने निरस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है, ऐसे आदेश यथावत रखने योग्य हैं ।

(8) सीमांकन पूर्व धारा 129 के प्रावधानों के पालन में यह आज्ञापक विधि है एवं यह स्थापित सिद्धांत है कि सीमांकन आदेश पारित करने के पूर्व ग्राम पटवारी व राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया जाये कि आस–पास के खातेदारों को नोटिस देकर सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये, परन्तु उक्त विवादित सीमांकन प्रकरण में तहसीलदार द्वारा न तो कोई सुसंगत, और न ही बोधगम्य आदेश पारित किया गया है, जबकि आस–पास के खातेदारों को सूचना देना आज्ञापक विधि है, यह तकनीकी आधार नहीं है, क्योंकि संहिता की धारा 129 का मूलभूत सिद्धांत है पड़ोसी कास्तकारों की उपस्थिति में सीमांकन सुनिश्चित किया जावेगा, अन्यथा किया गया सीमांकन संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत होकर अवैध व शून्यवत होगा ।

(9) दिनांक 9–6–2005 के सीमांकन पंचनामा एवं सीमांकन प्रतिवेदन का अवलोकन किया जावे, उक्त प्रतिवेदन में स्थाई चिन्ह, चिमोड़े–चमोड़े मीनारों का मिलान सत्यापन कर आधार बिन्दु कायम किया जाकर सीमांकन किया जाना प्रतिवेदित किया गया है, लेकिन फील्डबुक के अवलोकन से चिमोड़े–चमोड़े व मीनारों को आधार मानकर सीमांकन किया जाना परिलक्षिति नहीं होता है क्योंकि फील्डबुक में भैरोंपुर एवं ग्राम रतनपुर के मेड़ों को आधार मानकर सीमांकन किये जाने का लेख फील्डबुक में किया गया है, प्रतिवेदन पंचनामा एव फील्डबुक आपस में विरोधाभाषी हैं, इससे स्पष्ट है कि मनमर्जी से फील्डबुक व प्रतिवेदन पंचनामा बनाये गये जिस पर अनावेदक ने आपत्ति भी ली थी, लेकिन आपत्ति का निराकरण तहसीलदार ने गुणागुण पर न करते हुए सरसरी तौर पर सीमांकन स्वीकृत कर दिया । ऐसा सीमांकन स्वीकृत आदेश विधि की दृष्टि में एक बोलता हुआ आदेश नहीं है, जो निरस्त योग्य था, जिसे निगरानी न्यायालयों ने निरस्त कर विधि सम्मत आदेश पारित किया है ।

(10) तहसीलदार को उक्त स्थिति में उभय पक्षों के हितों के रक्षार्थ सीमांकन दल गठित कर विधिक स्थाई चिन्हों से सीमांकन सुनिश्चित किया जाना था, लेकिन तहसीलदार के आदेश से वाद–विवाद को बाहुल्यता मिलती है, ऐसे नैसर्गिक नियमों के विपरीत आदेश जो शून्यवत था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई वैधानिक भूल नहीं की है ।

तर्कों के समर्थन में 2002 आर.एन. 254, 2000 आर.एन. 153, 2002 आर.एन. 23, 2000 आर.एन. 266, 2006 आर.एन. 215, 2006 आर.एन. 88, 2000 आर.एन. 172, 2002 आर.एन. 126 एवं 2004 आर.एन. 100 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत प्रस्तुत किए गए ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । दिनांक 11–2–2014 को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के द्वारा समय–सीमा पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार कर निगरानी समय–सीमा में मान्य कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की गई है । अग्रिम कार्यवाही में अनावेदक की ओर से समय–सीमा पर पारित अंतिरम आदेश के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, और न ही उक्त अंतिरिम आदेश को चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है । इसलिए समय–सीमा के बिन्दु पर उठाये गये आधार विचारणीय नहीं रह जाते हैं । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन दल द्वारा दिनांक 9–6–2005 को सीमांकन किया गया है । सीमांकन कार्यवाही में अनावेदक उपस्थित हुआ है, और उसके द्वारा सीमांकन पंचनामा पर इस आशय की टीप अंकित की गई है कि सीमांकन से सहमत नहीं है, अतः सीमांकन दुबारा किया जाकर, वस्तु स्थिति पुरानी अवस्था में रखी जाये । तत्पश्चात् अनावेदक की ओर लिखित में भी इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि वह दिनांक 9–6–2005 को 9:00 बजे मौके पर उपस्थित हो गया था, परंतु सीमांकन दल दोपहर 3:00 बजे पहुंचा और बिना चांदे मीनारें एवं सही मांप किये बगैर सीमांकन कार्य प्रारंभ कर दिया । इस सम्बन्ध में अनावेदक द्वारा लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसे सीमांकन दल ने लेने से इन्कार कर दिया, और अनावेदक की भूमि में लगभग 30 फीट अंदर आवेदक की भूमि बताने लगे, जबकि अनावेदक द्वारा 15 वर्ष पूर्व भूमि कय की जाकर, सीमांकन कराकर, तार फैसिंग करा रखी है । इस प्रकार सीमांकन कार्यवाही में स्थायी चिन्ह चांदे मीनारों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है । पड़ोसी कृषकों को भी विधिवत् सूचना नहीं दी गई है, और न ही स्थल पर पड़ोसी कृषक उपस्थित रहे हैं । उक्त आपत्ति पर सुनवाई हेतु तहसीलदार द्वारा दिनांक 25–6–2005 की तिथि नियत की गई है, तत्पश्चात् प्रकरण में पेशी दिनांक 29–6–2005, 5–7–2005, 27–7–2005, 13–9–2005, 30–9–2005, 24–10–2005 एवं 31–10–2005 नियत की गई । दिनांक 31–10–2005 की पेशी पर उभय पक्ष की सहमति से अनावेदक के प्रकरण में सीमांकन होने तक यथास्थिति बनाये रखे जाने

का आदेश दिया गया है । इसके पश्चात् सीधे दिनांक 24–7–2006 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए अनावेदक की आपत्ति निरस्त की जाकर सीमांकन आदेश पारित कर दिया गया कि अनावेदक की भूमि का सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से सीमांकन होने तक इस प्रकरण में यथास्थिति बनाये जाने के आदेश थे । चूंकि अनावेदक की ग्राम भेरोपुर की भूमियों का सीमांकन सहायक अधीक्षक भू अभिलेख भोपाल द्वारा दिनांक 28–6–2005 को किया जा चुका है, जो प्रकरण क्रमांक 51 लगायत 58/अ–12/05–06 में दिनांक 20–7–2006 को आदेश पारित किया जाकर सीमांकन मान्य किये जा चुके हैं, अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति का स्वमेव निराकरण हो चुका है । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि यद्यपि तहसीलदार द्वारा अनावेदक की आपत्ति पर प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किया गया है, परंतु अनावेदक को बिना सुने उसकी आपत्ति निरस्त कर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना हुई है, क्योकि सीमांकन में अनावेदक की भूमि में आवेदिका क्रमांक 1 की भूमि निकाली गई है, अतः सीमांकन आदेश अनावेदक के विरूद्ध पारित किया गया है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप जिस व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया जा रहा है, उसे सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में निकाला गया निष्कर्ष कि अनावेदक की भूमियों का सीमांकन सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से हो जाने के कारण आपत्ति का स्वमेव निराकरण हो गया है, वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि अनावदेक की भूमियों का सीमांकन हो जाने से आपत्तियों का निराकरण किस प्रकार हो गया है । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न फील्डबुक के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सीमांकन नाले एवं होशंगाबाद रोड के मध्य से तथा ग्राम भेरोंपुर तथा ग्राम रतनपुर की मेड़े एवं मिनारे को आधार मानकर बिन्दु कायम कर किया गया है, जबकि सीमांकन पंचनामों एवं सीमांकन प्रतिवेदन में तिमेड़ो, चीमड़ों एवं मिनारे का सत्यापन कर आधार बिन्दु कायम कर सीमांकन किये जाने का उल्लेख है । स्पष्टतः सीमांकन फील्डबुक एवं सीमांकन पंचनामा में भिन्नता है, और अनावेदक की ओर से इसी आशय की आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई है कि स्थाई चिन्ह चांदे मिनारों की अनदेखी की गई है । तहसीलदार द्वारा पड़ोसी कृषकों को जो सूचना पत्र जारी किया गया है, उसकी भी विधिवत् तामीली नहीं हुई है, और न ही सीमांकन पंचनामों में इस बात

का उल्लेख है कि कौन–कौन पड़ोसी कृषक सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित हुए हैं, केवल अन्य ग्राम कृषक उपस्थित होने का उल्लेख है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनावेदक एवं अन्य साथियों की भूमि का सीमांकन हो जाने से और उन्हें अनावेदक सहित अन्य द्वारा स्वीकार कर लिये जाने से आवेदकगण की भूमि के सीमांकन में आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार अनावेदक को नहीं है, क्योंकि जब तहसीलदार द्वारा अनावेदक को कार्यवाही स्थगित रखने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित करने में सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया, तब अनावेदक द्वारा उसके पक्ष में हुए सीमांकन को किस प्रकार स्वीकार कर लिया गया । उनका यह आधार भी उचित नहीं है कि किसी व्यक्ति द्वारा तकनीकी आधारों पर विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है, जब तक कि उसके साथ वस्तुतः अन्याय न हुआ हो, क्योंकि तकनीकी आधारों पर चुनौती दिये जाने से प्रकरण निरंतर चलते रहेंगे तथा मुकदमेबाजी का कभी अंत नहीं होगा । कारण अनावेदक द्वारा तकनीकी आधारों पर तहसील न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी जाकर, सीमांकन कार्यवाही में हुई अवैधानिकता को आधार बनाकर निगरानी प्रस्तुत की गई है, और कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी सीमांकन आदेश अवैध होने से निरस्त किया गया है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2012 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । .

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर